BRJE010037182021

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश
(अनु.जा./अनु.जन.जा.), जहानाबाद।
उपस्थितः– अरुण कुमार शर्मा
विशेष अनु.जा./अनु.जन.जा. वाद संख्या – 91/2021
(सम्बंधित हुलासगंज थाना कांड संख्या 178 सन् 2021)

सूचिका	राज्य द्वारा :– प्रतिमा देवी, पति जितेन्द्र मॉझी, ग्राम खुवैरी नदीपर, पोस्थ+थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ सेः– श्री राकेश कुमार, प्रभारी विशेष लोक अभियोजक।
अभियुक्त	दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव, पिता महेन्द्र यादव, साकिन छतरू बिगहा, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की तरफ सेः– श्री संजय कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।
घटना की तिथि	25.10.2021
प्राथमिकी की तिथि	28.10.2021
आरोप पत्र की तिथि	13.07.2022
आरोप विरचना की तिथि	02.05.2025
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	02.07.2025
निर्णय तय करने की तिथि	25.05.2026
निर्णय की तिथि	27.05.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव	–	–	धारा 448/34, 341/34, 323/34, 354बी/34, 504/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w)(i), 3(2)(va) अनु. जा./अनु.जन.जा. अधिनियम	दोषमुक्त	–	–

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची–

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी. डब्लू. 1	प्रतीमा देवी	सूचिका
पी. डब्लू. 2	रामप्रवेश मांझी	अन्य गवाह
पी. डब्लू. 3	रिना देवी	अन्य गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन प्रदर्श :– कोई नहीं।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।

C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।

D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव के विरूद्व अन्तर्गत धारा 448/34, 341/34, 323/34, 354बी/34, 504/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w)(i), 3(2)(va) अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2021 को शाम में लगभग 06:45 बजे जब सूचिका अपने घर में अकेली अपने तीन माह के बच्चे के साथ घर में बच्चे को दुध पिला रही थी, अचानक उसके घर में चार आदमी पश्चिम दिशा से कुदा उस समय बिजली रहने से बल्ब जल रहा था। चारो में से एक व्यक्ति आगे बढ़कर बल्ब बुझा दिया। सभी नंगे अवस्था में थे। उसके बाद सभी आगे बढ़कर उसके पास पहुँचकर मुँह दबा दिया तथा जोर जबरदस्ती करना चाह रहे थे। इसी क्रम में उसके द्वारा विरोध करने पर उसे मारपीट किया गया तथा गले में माला, जिसमें जितिया गुथा था, उसे खींचकर ले भागा। इस घटना में एक व्यक्ति, जो पहले घर में कुदा था, वह दिपक यादव उर्फ धोनी यादव है। शेष अन्य तीन लोगों को नहीं पहचान सकी।

3. सूचिका द्वारा दिये गये प्राथमिकी आवेदन के आधार पर हुलासगंज थाना कांड संख्या 178/2021, दिनांक 28.10.2021 अंतर्गत धारा 448, 341,323, 354बी, 379/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w) /3(2)(va) अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम के अधीन अभियुक्त दिपक यादव उर्फ धोबी यादव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् घटना सत्य पाकर अंतिम आरोप पत्र संख्या 127/2022, दिनांक 13.07.2022 अन्तर्गत धारा 448, 341, 323, 354बी, 504/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w)/3(2)(va)अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम में न्यायालय में समर्पित किया गया।

4. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 448, 341, 323, 354बी, 504/34 भा0द0वि0 एवं 3(i)(r)(s)(w)/3(2)(va) अनु0जा0/अनु0जन0जा0 अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया गया।

5. इस मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव के विरूद्व अन्तर्गत धारा 448/34, 341/34, 323/34, 354बी/34, 504/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w)(i), 3(2)(va) अनु.जा. /अनु.जन.जा. अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

6. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त का बयान अंकित

किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आपको निर्दोष बताया। बचाव पक्ष ने अपने समर्थन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

7. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 03 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 01. प्रतीमा देवी, अभियेाजन साक्षी संख्या 02. रामप्रवेश मांझी व अभियोजन साक्षी संख्या 03. रिना देवी को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में किसी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श अंकित नहीं कराया है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 01. प्रतीमा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं इस केस की सूचिका हूॅ। घटना चार वर्ष पूर्व की है। समय करीब शाम का छः बज रहा था। उस समय मैं अपने घर पर थी। धोनी उर्फ दिपक कुमार मेरे घर में घुस कर मारपीट किया और गले सें जितिया व ढोलना था, जिसे मुदालय ने छिन लिया था। मारपीट में मुझे अन्दरूनी चोट लगी थी। मैंने ईलाज सरकारी अस्पताल हुलासगंज में करवाया था। उक्त घटना के लिए मैंने लिखित आवेदन अपने पति जितेन्द्र मांझी से लिखवाई थी, जिसे सुन व समझकर मैंने अपना अंगूठा का निशान बनाया था। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानती हूॅ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालयगण मेरे गॉव के पड़ोसी है इसलिए मैं उसे जानती पहचानती हूॅ। लिखित आवेदन को मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। मैंने अपने पति के कहने पर लिखित आवेदन पर अपना अंगूठा का निशान लगा दिया था। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मेरे साथ घटना किस व्यक्ति ने किया था। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ घटना किया उसे मैंने नहीं पहचाना है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। बाद में जब पता चला कि मुदालय निर्दोष है, तो मैंने मुदालय के साथ राजी खुशी से सुलह कर लिया है। आज न्यायालय में

मैंने बिना किसी दवाब के अपनी गवाही दी है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 02. रामप्रवेश मांझी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना कब की है, मुझे जानकारी नही है। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नही हुआ था।

अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि ऐसी बात नही है कि मै ंपुलिस को बयान दिया था कि समय करीब शाम 06:45 में चार लड़का प्रतिमा के घर में घुस गया, जब हल्ला हुआ तो दौड़ कर गया तो देखा कि प्रतिमा देवी घर पर बैठकर रो रही थी। सब को बताने लगी कि मेरे साथ छेड़ खानी कर आंगन से भाग गया ताथ जाति का नाम धुईंया मुसहर तथा गला से जीतिया छिनकर भाग गया। ऐसी बात नही है कि मुदालय के मेल में आकर सच्ची घटना को छुपा लिया हूॅ, और झुठी गवाही दिया हूॅ। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त धोनी उर्फ दिपक को नहीं पहचानता हूॅ।

बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैंने आज न्यायालय में अपनी गवाही स्वेच्छा से दी है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03. रिना देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना का करीब दो–तीन वर्ष पूर्व की हैं समय नहीं बता सकती हूॅ। घ टना के बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूॅ। सुबह जब उठी तो प्रतिमा देवी के दरवाजा पर भीड़ लगा था, तो मैंने पुछा तो पता चला कि प्रतिमा के घर पर चोर घुस गया था। चोर कौन था, मैं नहीं जानती हूॅ। मैं मुदालय को पहचानती हूॅ।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मुदालय के गॉव में मजदूरी करने जाती हूॅ इसलिए मैं उसे पहचानती हूॅ। प्रतिमा के घर में कौन घुसा था, मैं नहीं बता सकती हूॅ। पुलिस मेरा बयान नहीं ली थी। दोनों पक्षों में सुलह हो गया है।

12. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् प्रभारी विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले में को अभियोजन द्वारा कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, उन सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन अपने साक्ष्य में किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए सभी साक्षियों के साक्ष्यों से सूचिका के साथ अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किए जाने का तथ्य स्थापित होता है। अंत में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

13. अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपनी बहस में कहना है कि अभियोजन इस मामले को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उनके द्वारा बहस में आगे कहा गया कि अभियोजन द्वारा इस मामले में कुल 03 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए सभी साक्षियों ने अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहों से परिपूर्ण हो गया है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अभियोजन द्वारा इस मामले के अनुसंधानकर्ता व चिकित्सक को परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं कराया गया तथा उपस्थित न कराए जाने का कोई कारण हीं दर्शित किया है। अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराए साक्षियों से अभियोजन कथानक संदेहों से परे स्थापित नहीं हो सका है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उभय पक्षों में आपस में सुलह हो गई है। अन्त में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिशीलन(Discussion)

14. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख व उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अभियोजन पर यह प्राथमिक दायित्व होता है कि वह अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें। इस मामले में अभियोजन, अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में कहां तक सफल रहा है इसके लिए अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों के साक्ष्यों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

16. साक्ष्य समीक्षा के क्रम में सर्वप्रथम अभियोजन साक्षी संख्या 01. प्रतिमा देवी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि यह साक्षी इस मामले की सूचिका है तथा इस साक्षी ने घटना के संबंध में कथन किया है कि घ टना चार वर्ष पूर्व की है। समय करीब शाम का छः बज रहा था। उस समय वह अपने घर पर थी। धोनी उर्फ दिपक कुमार उसके घर में घुस कर मारपीट किया और गले सें जितिया व ढोलना था, जिसे मुदालय ने छिन लिया था। मारपीट में उसे अन्दरूनी चोट लगी थी। इस साक्षी ने अपना ईलाज सरकारी अस्पताल हुलासगंज में करवाने का कथन किया है।

जबकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में ऐसा साक्ष्य दिया है जिससे इसके मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य खंडित हो गया है। इस साक्षी ने अपने

प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में कथन किया है कि लिखित आवेदन को उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। लिखित आवेदन में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी भी उसे नहीं है। उसने अपने पति के कहने पर लिखित आवेदन पर अपना अंगूठा का निशान लगा दी थी। उसे आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ घटना किस

व्यक्ति ने किया था। जिस व्यक्ति ने उसके साथ घटना किया उसे उसने नहीं पहचाना है। इस साक्षी ने पुलिस में बयान नहीं होने का भी कथन किया है।

इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से दर्शित होता है कि यह साक्षी इस मामले का सूचिका है, परन्तु इस साक्षी ने ऐसा विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है, जिससे अभियोजन कथानक स्थापित नहीं हो रहा है। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्थापित नहीं हो रहा है कि मुदालयगण द्वारा सूचिका के साथ घटना कारित की गई थी। इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूँ।

17. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 03. रीना देवी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ घटना का करीब दो–तीन वर्ष पूर्व की है। समय नहीं बता सकती है। घटना के बारे में वह कुछ नहीं जानती हूँ। आगे कथन किया है कि सुबह जब उठी तो प्रतिमा देवी के दरवाजा पर भीड़ लगा था, तो उसने पुछा तो पता चला कि प्रतिमा के घर पर चोर घुस गया था। चोर कौन था, वह नहीं जानती है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के साक्ष्य में भी कथन किया है कि प्रतिमा के घर में कौन घुसा था, वह नहीं बता सकती है। पुलिस उसका बयान नहीं ली थी।

इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य की समग्र समीक्षा से अभियुक्त के द्वारा घ ाटना कारित किए जाने के तथ्य का दर्शित होना नहीं पाता हूँ। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक का स्थापित होना नहीं पाता हूँ।

18. साक्ष्य समीक्षा के अग्रिम क्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 02. रामप्रवेश मांझी के मुख्य परीक्षण में दिए गए साक्ष्य की समीक्षा से पाता हूँ कि ये साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में हीं पक्षद्रोही हो गया है तथा अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन कथानक स्थापित हो सके।

19. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि इस मामले में अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। आपराधिक विधि में अभियोजन कि यह महती जिम्मेदारी

होती है कि वह अपने मामले को सभी प्रकार के युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करें। यदि अभियोजन अपने मामले को संदेहों से परे साबित करने में असफल रहता है तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है।

20. अतः अभियुक्त दीपक यादव उर्फ दीपक कुमार यादव उर्फ धोनी यादव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा धारा 448/34, 341/34, 323/34, 354बी/34, 504/34 भा.द.वि. एवं 3(i)(r)(s)(w)(i), 3(2)(va) अनु.जा./अनु.जन.जा. अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुये उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त पूर्व से जमानत पर हैं, इसलिये उसके बंधपत्र रद्द करते हुए, उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

21. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।
दिनांकः–27.05.2026

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।
दिनांकः–27.05.2026